कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांकः- 30/09/2024

विषय:- **बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए आयी महिला दर्शनार्थी का सोने की चैन को चोरी करने वाली शातिर महिला चोरों के साथी बोलोरो चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम तथा चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के कुशल नेतृत्व में दिनांक- 14.07.2024 को बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए गैर प्रांत से आयी महिला दर्शनार्थी का सोने की चैन चोरी हो जाने पर थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 70/2024, धारा- 303(2) BNS पंजीकृत हुआ था, जिसमें घटना कारित करने वाली महिला चोरों का फुटेज प्राप्त कर दिनांक 17.07.2024 को 03 शातिर महिला अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके साथी बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया था जिसे दिनांक 29.09.2024 को आशापुर गाजीपुर साइड ओवरब्रीज पेट्रोल पम्प के पास से समय 22.50 बजे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- **पूर्व में 03 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार तथा घटना में प्रयुक्त 01 बोलोरो, चैन ब्रिकी से खरीदा गया एक जोड़ी झाला कान का (कीमत करीब 85 हजार) बरामद।**

विवरण पूछताछः- पूछताछ पर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा बताया गया कि अभियुक्ता (पूर्व में गिरफ्तार) के द्वारा खरीदे गये बोलोरो को मेरे द्वारा ही चालाया जाता था, अभियुक्ता (पूर्व में गिरफ्तार) अपने जेठान व अन्य महिलाओं के साथ आये दिन बनारस, बलिया, गोरखपुर व अन्य शहर को जाती थी बोलोरो से मैं ही उन्हे लेकर जाता व आता था, उनके बताये हुए स्थान पर उन्हे छोडकर मैं उनकी बतायी हुयी जगह पर उनका इंतजार करता था उनके आने के बाद हम सभी वापस चिरैयाकोट चले आते थे। कभी-कभी अभियुक्ता (पूर्व में गिरफ्तार) के द्वारा हमे महीने की पगार के अलावा भी कुछ पैसे दिये जाते थे। विभिन्न शहर, मंदिर व भीड़-भाड़ वाली स्थानों पर अभियुक्ता (पूर्व में गिरफ्तार) अपनी महिला टीम के साथ मिलकर भीड़ का फायदा उठाकर चोरी का काम करती थी, जिसमें हमारा काम सिर्फ उन्हे ले जाना व ले आना होता था जिसके लिये हमें अच्छा खासा पैसे मिलता था। उन्हे शहर में उतारकर उनके द्वारा बताये गये स्थान पर उनका इंतजार करता था। अभियुक्ता (पूर्व में गिरफ्तार) व उनकी साथियों द्वारा अपना मोबाइल व सामान गाडी में ही रखकर हमें कुछ पैसा खाने पीने के लिये देकर जाती थी और कुछ देर बाद वापस आती थी तो घर चलने को कहती थी। चोरी का सामान कहा और किसे बेचती थी, इसके बारे में हमें नही पता हमें कुछ पैसे मिल जाते थे। हमें जो भी पैसे मिले थे वो सभी खर्च हो गये है।

<u>सम्बन्धित अभियोग</u>- मु0अ0सं0- 70/2024, धारा- 303(2) BNS थाना कोतवाली वाराणसी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u> धर्मेन्द्र उर्फ ढोला पुत्र समरु निवासी बीबीपुर, निजामपुर, सुल्तानीपुर मऊ उम्र 45 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास अभि0गणः</u>- अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ ढोला का आपराधिक इतिहास निम्न है-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	390/11	4/25 आर्मस एक्ट	चिरैयाकोट	मऊ
2.	2659/10	41/109 सीआरपीसी	चिरैयाकोट	मऊ

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी का स्थान व समयः-</u> दिनांक- 29.09.2024 समय 22.50 बजे स्थानः- वाराणसी गाजीपुर मार्ग आशापुर थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. राजीव कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
2. उ0नि0 शिवशंकर यादव, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
3. उ0नि0 डाली शाहू थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
4. हे0का0 कुलदीप सिंह, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
5. का0 सुनील जायसवाल, थाना कोतवाली, कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।